बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीनगर–पटना पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीनगर–पटना पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया एवं पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित पारेषण लाईन राज्य के दो वन प्रमंडलों से होकर गुजरेगी जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	औरंगाबाद	1.5226	10
2	पटना	0.322	14
	कुल	**1.8446**	**24**

2. इसके अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में 52 बाँस प्रजाति का पातन किया जायेगा। दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

3. प्रस्तावित पारेषण लाईन पथ तट, नहर तट एवं बांध तट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से हो कर गुजरती है, **इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 1.8446 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 24 वृक्षों के पातन की अनुशंसा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित वन संरक्षक द्वारा की गयी है पातित होने वाले वृक्षों की गणना का सारांश प्रस्ताव के साथ संलग्न है।**

4. इस क्रम में दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम अंकित किया गया है। गुजरने वाले पारेषण लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया Geo Referring Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. परियोजना का निर्माण औरंगाबाद, अरवल एवं पटना जिलान्तर्गत होना है। इन जिलों में अपयोजित होने वाली वन भूमि क्रमशः 0.9384, 0.5842 एवं 0.322 हे० है। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा 1.5226 हे० एवं जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा 1.5226 हे० एवं जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा 0.322 हे० वन भूमि के लिये FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं पटना तथा वन संरक्षक, गया एवं पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

7. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 1.8446 हे० वन भूमि के बदले दुगुने अवकृष्ट वन 3.6892 हे० अर्थात 4.00 हे० वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.791 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,95,166/– (रूपये चार लाख पंचानवें हजार एक सौ छियासठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.8446 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रक्षेत्र अन्तर्गत पवई रक्षित वन (पी० एफ०) में 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि चिन्हित कि गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय डिपू तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-27 दिनांक 09/01/2018

प्रतिलिपि – मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/01/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।